BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक- 23 अक्टूबर, 2025 **थाना डिबाई**

भूपेन्द्र उर्फ भूपा की हत्या का सफल अनावरण,घटना में संलिप्त मृतक की भाभी व उसका प्रेमी गिरफ्तार ।

अवगत कराना हैं कि दिनांक 18.07.2025 को वादी अजीत सिंह पुत्र रोहन सिंह निवासी ग्राम घुसराना हरिसिंह थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर ने थाना डिबाई पर तहरीर दी की अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसके पुत्र भूपेन्द्र की हत्या कर दी गयी हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना डिबाई पर मुअसं-485/25 धारा 103(1), 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उक्त घटना के क्रम में थाना डिबाई पुलिस द्वारा जांच/विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान घटना के प्रकाश में आयी मृतक की भाभी व उसके प्रेमी को आज दिनांक 23.10.2025 को गिरफ्तार किया गया हैं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. वर्षा पत्नी राजेश निवासी ग्राम घुसराना हरिसिंह थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर ।
2. गौरव पुत्र सतीशचन्द्र निवासी मौ0 हरिश कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर ।

हत्या का कारण- गिरफ्तार अभियुक्ता वर्षा उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने देवर भूपेन्द्र की शादी अपनी बहन से करवाना चहाती थी, लेकिन भूपेन्द्र ने उसकी बहन से शादी नहीं की एवं उसके मामा की लडकी से शादी कर ली। इसी बात से वह नाराज थी एवं मृतक भूपेन्द्र को उसके व अभियुक्त गौरव के प्रेम सम्बन्ध के बारे में जानकारी हो गयी थी तथा व इसका विरोध करता था। इसी बात को लेकर उसने व गौरव ने भूपेन्द्र की हत्या करने की योजना बनाई तथा दिनांक 18-07-2025 को योजनानुसार भूपेन्द्र को धोखे से ग्राम घुसराना हरिसिंह की पुलिया पर बुलाया तथा वहां पर गौरव द्वारा अपने साथी छोटे सिंह के साथ मिलकर भूपेन्द्र के गले में रस्सी का फंदा लगा कर उसकी हत्या कर दी तथा शव को उठाकर सड़क के खडंजे पर 200 मीटर दूर फेंक कर फरार हो गये।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रविरतन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई
2. उ0नि0 विनय यादव, म0उ0नि0 रिचा वर्मा
3. का0 दलवीर सिंह, अजय यादव, म0का0 करिश्मा

मीडिया सैल बुलन्दशहर